मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964

(वर्ष 1964 का 29)

[म. प्र. शासन-वन विभाग की अधिसूचना क्र. 14334-X-64 दि. 28 नवम्बर 1964]

दिनांक 23 नवम्बर सन् 1964 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई जो "मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण)" दिनांक 28 नवम्बर, 1964 (पृष्ठ 3368) को प्रकाशित की गई-

तेन्दू पत्तों के व्यापार को लोकहित में विनियमन करके और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने हेतु उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जावे:-

धारा 1. संक्षिप्त नाम व विस्तार तथा प्रारंभ - (1) यह अधिनियम **मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964** कहलावेगा।

(2) इसका विस्तार क्षेत्र पूरा मध्यप्रदेश होगा।

[1](3) यह ऐसे क्षेत्रों में या क्षेत्र में तथा ऐसे दिनांकों को प्रवृत्त होगा, जिसे या जिन्हें राज्य शासन अधिसूचना द्वारा, उल्लिखित करे।

टिप्पणी-धारा 1

यह अधिनियम पूरे मध्यप्रदेश में दिनांक 28-11-64 से प्रवृत्त हुआ। (अधिसूचना म. प्र. शासन

1. म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 28 नवम्बर 1964 पृष्ठ 3368 द्वारा प्रवृत्त

वन विभाग क्र. 14334/X/64 दिनांक 28 नवम्बर, 1964 द्वारा जारी हुई और दिनांक 28 नवम्बर, 1964 के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ क्र. 3360-3368 पर प्रकाशित हुई।

धारा 2. परिभाषायें - इस अधिनियम में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

A =(क) अभिकर्ता (Agent) से तात्पर्य धारा "4" के अधीन नियुक्त किये गये अभिकर्ता से है;

B =(ख) संहिता (Code) से तात्पर्य "मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959" (भूराजस्व संहिता, 1959) (वर्ष 1959 का 20) से है;

C =(ग) "समिति (Committee)" से तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक राजस्व आयुक्त के संभाग के लिये गठित मंत्रणा समिति से है.

D =(घ) "तेन्दू पत्ता उगाने वाला" (Grower of Tendu Leaves) से तात्पर्य –

(i) (एक) उन क्षेत्रों में जो समय-समय पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) के अधीन आरक्षित एवं संरक्षित वनों के रूप में गठित किये गये क्षेत्र में उगे तेन्दू के पौधों के संबंध में राज्य शासन से है;

(ii) (दो) उपरोक्त (i) के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में उगाए गये तेन्दू के पौधों के संबंध में –

(a) राज्य शासन जहां तेन्दू का पौधा संहिता की धारा 2 के खण्ड (ब) (z-3) में परिभाषित दखल रहित भूमि पर उगाया जाय;

(b) किसी इकाई के अन्तर्गत आने वाले ऐसे खाते के यथास्थिति भूधारी या भाड़ेदार, या शासकीय पट्टाधारी या ऐसी सेवा भूमि के धारक से है जिसमें तेन्दू के पौधे उगते हों, और उसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है, जो समय-समय पर, उसके माध्यम से तेन्दू के पौधों पर हक का दावा करता हो;

(c) किसी ऐसी इकाई में जिसमें तेन्दू पत्ता उगते हों, यथास्थिति मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1953 (क्र. 15 वर्ष 1953) के अधीन भूदान धारक, मध्य-भारत भूदान यज्ञ विधान, 1955 (क्र. 3, वर्ष 1955) के अधीन भूदान कृषक या भूदान पट्टेदार, विंध्य प्रदेश भूदाने यज्ञ अधिनियम, 1955 (क्र. 1 वर्ष 1956) के अधीन भूदान कृषक, तथा राजस्थान भूदान यज्ञ एक्ट, 1954 (क्र. 16, वर्ष 1954) के अधीन अनुदान ग्रहीता से है और उसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है जो समय-समय पर, उसके माध्यम से तेन्दू के पौधों पर हक का दावा करता हो;

(E) "खाता" से तात्पर्य–

(एक) ऐसे भूमि खण्ड से है जिसका भूराजस्व पृथक् से निर्धारित हुआ हो और जो भूमि स्वामी द्वारा धारित हो; और

(दो) भाड़ेदार या शासकीय पट्टाधारी द्वारा धारित भूमि के संबंध में, एक ही पट्टे या एक ही साथ चलने वाली शर्तों के अधीन यथा स्थिति भूमि स्वामी या राज्य शासन से धारण किए गए भूमि खण्ड से है;

(F) "सेवा भूमि के धारक" से तात्पर्य गांव के सेवक के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूधारण करने वाले व्यक्ति से है;

(G) "शासकीय पट्टेधारी" से तात्पर्य संहिता की धारा 181 के अधीन राज्य शासन से भूमि धारण करने वाले व्यक्ति से है;

(H) "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" (Specified Area) से तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित क्षेत्र से है;

(I) "भाड़ेदार" (Tenant) से तात्पर्य संहिता के चौदहवें अध्याय के अधीन भूमि स्वामी से मौरूसी काश्तकार के रूप में धारण करने वाले व्यक्ति से है;

(J) "भूधारी" (Tennure holder) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो राज्य शासन से भूमि धारण करता हो और जो संहिता के उपबंधों के अधीन भूमि स्वामी हो या भूमि स्वामी माना गया हो;

(K) "इकाई" (Unit) से तात्पर्य उल्लिखित क्षेत्र के उस उप-खण्ड से है जो धारा 3 के अधीन इकाई के रूप में गठित किया गया हो;

(L) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई हों, किन्तु परिभाषित न की गई हों और जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) में परिभाषित की गई हों, वही तात्पर्य होगा जो उनके लिये उस अधिनियम में दिया है।

टिप्पणी

तेन्दू पत्तों की वाणिज्यिक सामग्री (Commercial Commodity) एक अलग श्रेणी की है वह ऐसी वाणिज्यिक सामग्री से भिन्न है जो कच्चे माल की सामग्री (Raw material) होती है। अतएव तेंदू पत्तों के व्यापार को नियंत्रित एवं नियमन करने के लिए यह अधिनियम 1964 लाया गया है तेंदू पत्ता राज्य की विशाल प्राकृतिक उपज है और राज्य में तेंदू पत्ते के व्यापार का एकाधिकार यह कानून निहित करता है। यह कानून सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में नोटीफिकेशन क्र. 14334-X-64 दिनांक 28-11-1964 (राजपत्र असाधारण म. प्र. दि. 28 नवम्बर 1964 पृ. 3360) द्वारा प्रवृत्त किया गया है। इस कानून के द्वारा राज्य सरकार को तेंदू पत्तों के अन्य डीलरों से भिन्न तेंदू पत्ते के डीलर के रूप में माना जा सकता है यह न्यायोचित होगा इसलिये राज्य सरकार अन्य माल की खरीद बिक्री पर जो लेव्ही लगाती है उससे भिन्न रेट पर तेंदू पत्ते के खरीद बिक्री पर राज्य सरकार कर लगाती है इस बात की सख्ती से न्यायोचित होने के आशय से छानबीन आवश्यक नहीं है। तेंदू पत्ता अन्य कच्चे माल के समान नहीं है। उनका एक मात्र उपयोग बीडी के निर्माण में तम्बाकू की उपभोग योग्य पैकिंग सामग्री अथवा वारदाना होना प्रतीत होता है, ठीक वैसे जैसे सिगरेट के निर्माण में सिगरेट-कागज का उपयोग होता है। इस प्रकार तेंदू पत्ता वाणिज्यिक वस्तु का एक भिन्न वर्ग है और राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उन पर कच्चा माल कहलाने वाली अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं के वर्ग से भिन्न कर विनिर्धारित करे (पैरा 15), धारा 19 स्टेट के हित में तेंदू पत्ते की मोनोपोली का सृजन करती है यह अनुच्छेद 14 संविधान का उल्लंघन नहीं है। *(अनवर खां महबूब कं.* वि. *स्टेट म.प्र. (1966) 2 सुप्रीम कोर्ट रि. (SCR) 40-* अनुसरित), धारा 8 (1) म. प्र. विक्रय कर अधिनियम 1958 के अधीन भिन्न कर लगाया जाना संविधान के विपरीत नहीं है। म. प्र. विक्रय कर अधिनियम, 1958 की धारा 8 - Rate of tax for raw material की उपधारा (1) म. प्र. संशोधन अधिनियम तथा वैधीकरण अधिनियम क्र. 23/1967 (प्रभावी दि. 21 दिसम्बर 1967) तथा संशोधन अधिनियम म. प्र. क्र. 9/1968 प्रभावी दि. 15 अप्रैल 1968 तथा संशोधन 1971 एक्ट से फिर धारा 8(1) विक्रय कर अधिनियम संशोधित की गई जो 6 मई 1971 से प्रभावी की गई।

(1) इसका परिणाम यह हुआ कि 1 अप्रैल 1959 से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या

कोई अन्य विभाग या कार्यालय जो खरीद, बिक्री, सप्लाई (पूर्ति प्रदाय) या माल का वितरण प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा नकदी प्रतिफल या अन्य प्रतिफल (Consideration) के लिये करते हैं तो वे म. प्र. विक्रय कर अधिनियम के अधीन कानून के आशय के लिये "डीलर" समझे जायेंगे इसके बावजूद भी कि वह खरीद, बिक्री, सप्लाई या वितरण माल का कारोबार के दौरान किया जाय या नहीं,

(2) 15 अप्रैल 1959 से तेंदू पत्ते- म. प्र. विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 के प्रयोजनों के लिये "कच्चे माल" (Raw material) के रूप में होना या माने जाना बन्द या समाप्त (Ceased to be raw material) हो गये और धारा 6 सहपठित अवशिष्ट (Residuary entry) प्रविष्ठि No. 1, पार्ट VI अनुसूची II- के अधीन 7 प्रतिशत की दर पर कर के वसूली योग्य हो गये,

(3) मई 6, 1971 से धारा 8 विक्रय कर अधिनियम म. प्र. के उपबन्ध किसी माल के राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा या उस विभाग के प्राधिकारी कार्यालयों द्वारा किये गये किसी विक्रय पर लागू होना बन्द या समाप्त हो गये किन्तु जहां वन विभाग के या उसके किसी आफिस के रजिस्टर्ड डीलर द्वारा माल की खरीदी की गई हो और उसके द्वारा उपयोग कच्चे माल के रूप में या किसी अन्य माल के निर्माण के विक्रय मध्यप्रदेश के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान किया गया हो, ऐसा डीलर कच्चे माल पर लगने वाला 2 प्रतिशत कर तथा ऐसे माल पर अनुसूची II में वर्णित पूरी दर पर लगने योग्य कर की राशियों में अन्तर की राशि के मुजराई (Set off) का हकदार होगा,

(4) राज्य सरकार के वन विभाग के या उस विभाग के किसी कार्यालय के अधीन रजिस्टर्ड डीलर द्वारा की गई खरीदारी पर तथापि मुजराई राशि की योग्यता नहीं रहती है यद्यपि ऐसे मुजराई पाने की वर्णित शर्तों को पूरा भी कर दिया गया हो,

संविधान के अनुच्छेद 286 (3), 301 तथा 304 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड साल्ट एक्ट, 1944 में तेंदू पत्ते विशेष माल घोषित नहीं किये गये। तेंदू पत्ते म. प्र. के बाहर उच्चतर दर पर बेचे जाने पर संविधान के अनुच्छेद 301 तथा 304 का अधिक्रमण नहीं होता है- (1970) 1 SCR (सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर) 700

स्टेट केरल वि. ***अब्दुल कादिर (अनुसरित)***, ***पैरा*** *17, 20* ***तथा*** *21, = 1987 RN, 1 = 1987 JLJ 1=* ***ए.आय.आर.*** *1986* ***सुप्रीम कोर्ट*** *1085-* ***ब्रजलाल मनीलाल एण्ड कम्पनी (मेसर्स) तथा अन्य*** वि. ***स्टेट म.प्र. तथा अन्य - (जस्टिस ए.पी. सेन तथा जस्टिस डी.पी. मदोन - सुप्रीम कोर्ट)*** *= 1986* ***करेन्ट टैक्स जजमेन्ट्स*** *(CTJ) 386* ***सुप्रीम कोर्ट.***

जहां ठेकेदारों के करारनामे में लिखी रेट्स-नोटीफिकेशन में वर्णित रेट्स से कम हों वहां सन् 1972 के लिए नवीनीकरण कराने की हकदारी नहीं रहती है - मध्यप्रदेश तेंदू पत्तों के निवर्त्तन हेतु न्यूनतम दर निःशेषयन अध्यादेश 1972 (2/1972) का प्रभाव यह है कि समस्त निबन्धन जो अध्यादेश के उपबन्धों के असंगत हों वे हटाये गये माने जायेंगे और केवल अध्यादेश में वर्णित रेट्स ही खरीदार के 1972 वीं वर्ष के करार के लिए अभिभावी (Prevail) रहेंगे। टेण्डर नोटिस का क्लॉज 25 (1) और करारनामे का क्लॉज 2 (1) के निर्वचन पर विवादित प्रश्न का निपटारा करना होगा। आर्डिनेन्स का सेक्शन (3) का Non Obstante clause या enacting clause इस प्रश्न को deal नहीं करते हैं कि खरीददार करार के नवीनीकरण के लिए कब हकदार होगा? "इस वर्ष" अभिव्यक्ति का करार में आशय करार के प्रारंभ होने के वर्ष से है। आर्डिनेंस का वास्तव में प्रभाव यह है कि खरीदार के 1972 वर्ष के लिए करार के नवीनीकरण के लिए अन्यथा हकदार होने पर भी उसे अध्यादेश में संलग्न तालिका में बताई रेट्स के भुगतान पर राजी होने पर ही नवीनीकरण मंजूर किया जा सकेगा- ***(गनेश ट्रेडिंग कं.*** वि. ***स्टेट म. प्र.,*** *1972* ***म.प्र. ला.ज.*** *854 = 1972* ***ज.ला.ज.*** *679* ***बहुमत निर्णय)***

तेंदू पत्ते के व्यापार में - पत्तों के खरीद बिक्री का व्यवहार रहता है खरीदे गए तेंदू पत्तों का

परिवहन किया जाना उस व्यवहार का अभिन्न अंग नहीं है ***म.प्र. राज्य*** वि. ***मेसर्स छोटा भाई जेठा भाई-*** *1972* ***म.प्र. ला.ज.*** *641* ***सुप्रीम कोर्ट*** *(AIR 1970* ***सुप्रीम कोर्ट*** *129-* ***अनुसरित)*** ;

-धारा 5 (10) परिवहन के विरुद्ध प्रतिषेध का आशय उन तेंदू पत्तों के परिवहन के विरुद्ध निर्देश है जो राज्य के भीतर ऊगे हों- मध्यप्रदेश स्टेट के बाहर के स्टेट से विनिर्माताओं द्वारा तेंदू पत्तों का आयात प्रतिबन्धित या प्रतिषिद्ध होना कानून या नियमों में कहीं भी नहीं है – ***मेसर्स छोटा भाई जेठा भाई*** वि. ***म.प्र. राज्य*** - *1968* ***ज.ला.ज.*** *82 = 1968* ***म.प्र.ला.ज.*** *24 =* ***ए.आय.आर.*** *1968* ***म.प्र.*** *127 (****डीबी हाईकोर्ट म.प्र.****)*

विनिर्दिष्ट कुछ राजस्व जिलों में विनिर्दिष्ट वन उपज के लिए कानून प्रवृत्त–

(1) यह कानून - राजस्व जिलों- सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर तथा टीमकगढ़ के क्षेत्रों में- वन उपज,

(2) इमारती लकड़ी (1) सागौन (Tactona grandis)
" (2) साल (Shorea Robusta)
" (3) बीजा (Pterocarpus Marsupium)
" (4) शीशम (Dalbergia Latifolia)

के लिए नोटीफिकेशन क्र. 1290-986-X-3-72 दि. 14-9-1972 (म. प्र. राजपत्र-असाधारण - दि. 14-9-1972 पृष्ठ 2300) के अधीन प्रवृत्त हुआ।

धारा 3. इकाइयों का गठन- राज्य शासन प्रत्येक उल्लिखित क्षेत्र को उतनी इकाइयों में विभाजित कर सकेगा जितनी कि वह उपयुक्त समझे।

धारा 4. राज्य शासन द्वारा एजेन्टों की नियुक्ति तथा शर्तें – (1) राज्य शासन, अपनी ओर से तेन्दू पत्तों के क्रय तथा व्यापार के हेतु भिन्न-भिन्न इकाइयों के लिये अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगा तथा कोई भी ऐसा अभिकर्ता एक से अधिक इकाइयों के लिये नियुक्त किया जा सकेगा।

[1](2) अभिकर्ता की नियुक्ति संबंधी निर्बन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी शासन द्वारा समय-समय पर अवधारित की जावे।

धारा 5. तेन्दू पत्ते के क्रय या परिवहन पर निबन्धन- (1) किसी भी क्षेत्र में धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन सूचना जारी होने पर–

(क) राज्य शासन;

(ख) इस संबंध में लिखित रूप से प्राधिकृत किये गये शासन के किसी पदाधिकारी; या

(ग) जिस इकाई में पत्ते उगाये गये हों उस इकाई से संबंधित अभिकर्ता को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति तेंदू पत्तों का न तो क्रय करेगा और न परिवहन करेगा।

[1]**व्याख्या- 1-** (एक) राज्य शासन से या पूर्वोक्त शासकीय पदाधिकारी से या अभिकर्ता से या धारा 12A के अन्तर्गत किया गया तेन्दू पत्तों का क्रय इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया क्रय नहीं समझा जावेगा।

(दो) खाते में कोई हित न रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसने कि ऐसे खातों में उगाये गये तेन्दू पत्तों का संग्रह करने का अधिकार अर्जित कर लिया हो, यह समझा जायेगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसे पत्तों का क्रय किया है।

1. [धारा 4(2), संशोधन अधिनियम क्र. 7/1989 (म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 17-4-1989 पृष्ठ 737 तथा पृष्ठ 739-741 द्वारा संशोधित]

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(क) तेन्दू पत्ते को उगाने वाला, अपने पत्तों का परिवहन, ऐसी इकाई के भीतर, जिसमें तेन्दू पत्ते उगे हों, किसी स्थान से उस इकाई में किसी स्थान तक कर सकेगा, और

[1](ख) "ऐसे तेंदू पत्तों का, जिनका क्रय राज्य शासन से तथा उक्त उपधारा में उल्लिखित किये गये किसी पदाधिकारी या अभिकर्ता से किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर वीडियों के निर्माण के लिये या किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के बाहर विक्रय के लिए 1. धारा 5 के संशोधन म. प्र. तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 7 वर्ष 1989 द्वारा किये गये (राजपत्र दि. 17-4-89 पृ. 739-41) किया हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा इकाई के बाहर परिवहन उस संबंध में, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसी फीस की देनगी की जाने पर, जैसा कि विहित किया जाये, जारी किये जाने वाले अनुज्ञा-पत्र के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा। विभिन्न प्रकार की परिवहन गाड़ियों के लिये फीस को विभिन्न दरें विहित की जा सकेंगी।"

(3) तेन्दू पत्ते का विक्रय करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति उन्हें पूर्वोक्त शासकीय पदाधिकारी या अभिकर्ता को इकाई के भीतर स्थित किसी भी संग्रहागार (फड़) में बेच सकेगा।

टिप्पणी- धारा 4, 5

(1) **धारा 4. तेंदू पत्तों के संकलन व्यय के बारे में अधिसूचना-** अधिसूचना क्र. 2396-10-67 दि. 10 मार्च 1967- 1 जुलाई 1966 से 30 जून 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शासकीय वन या भूमि से तेंदू पत्ता एकत्रित करने हेतु नियोजित व्यक्तियों को - तेंदू पत्तों की 50 पत्ते वाली 100 गड्डी या 5,000 तेंदू पत्तों के लिए संकलन व्यय 1 रुपया 20 पैसे होने की अधिसूचना प्रकाशित की गई (राजपत्र म. प्र. असाधारण दि. 10-3-1967 पृष्ठ 975),

(2) अधिसूचना क्र. 1133-X-69 दि. 12 फरवरी 1969 (राजपत्र असाधारण म. प्र. दि. 12 फरवरी 1969 पृष्ठ 171)

1 जुलाई 1968 से 30 जून 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शासकीय वन या भूमि से तेंदू पत्ता संकलन करने हेतु नियोजित व्यक्तियों को 50 पत्तों वाली 100 गड्डी या 5000 पत्तों के लिए 1.50 डेढ़ रुपया संकलन व्यय पूरे म. प्र. में लागू होने की अधिसूचना प्रकाशित हुई।

(3) 1 जुलाई 1969 से 30 जून 1970 के दौरान तेंदू पत्ते का संकलन व्यय नियोजित व्यक्तियों को संकलन हेतु 50 पत्तों वाली 100 गड्डी या 5000 पत्तों पर 1.50 डेढ़ रुपया ही लागू रखा गया- [अधिसूचना क्र. 558-X-70 दिनांक 16-17 जनवरी 1970 (राजपत्र म. प्र. असाधारण दिनांक 16-17 जनवरी 1970 पृ. 229]

(4) अधिसूचना क्रमांक 5686-X-70 दिनांक 7 जुलाई 1970 (राजपत्र म.प्र.-असाधारण दिनांक 8 जुलाई 1970 पृ. 1252)

तेंदू पत्तों के बेचे जाने के लिए टेन्डर नोटिस क्र. 8004-X-69 दिनांक 26 नवम्बर 1969 की शर्त के क्लाज 25 (1) के अधीन राज्य सरकार (म. प्र.) प्रत्येक सरकल के लिए बेचे गये तेंदू पत्ते की

1. धारा 4 एवं 5 के संशोधन म.प्र. तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम (7 वर्ष 1989) द्वारा किये गये। (राजपत्र दिनांक 17-4-89 पृष्ठ 739-41) म.प्र. असाधारण)- धारा 5 की उपधारा (2) का क्लाज (बी) का लोप किया गया तथा क्लाज (सी) को (बी) के रूप में पुनः संख्यांकित (re-numbered) किया गया।

इकाई 1970 के लिए नवीनीकरण वर्ष 1971 के लिए नीचे लिखी रेट्स निर्धारित करती है। टेन्डर नीलामी या सौदे द्वारा बेचे गये तेंदू पत्तों की इकाई 1970 के लिए नियुक्त क्रेता - नवीनीकरण का आवेदन पेश कर सकेंगे :-

	सरकल (Circle) (1)	स्वीकृत क्रय मूल्य (2)
1.	पूरे बस्तर वृत्त	65 रु. या उससे अधिक प्रति मानक बोरे,
2.	पूरे रायपुर वृत्त तथा बिलासपुर, उत्तरी बिलासपुर तथा इसी वृत्त का रायगढ़ खण्ड	55 रु. या उससे अधिक प्रति मानक बोरे,
3.	उत्तरी, दक्षिणी सरगुजा बिलासपुर वृत्त का जशपुर खंड तथा बचत वृत्त	45 रु. या उससे अधिक प्रति मानक बोरे

(5) अधिसूचना क्र. 7117-X-71 दि. 28 दिसम्बर 1971 (मप्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 28 दिसम्बर 1971 पृष्ठ 1910)

1 जुलाई 1971 से प्रारंभ होकर 30 जून 1972 के वर्ष के दौरान तेंदू पत्तों के संकलन व्यय, 50 पत्तों वाली 100 गड्डी या 5000 पांच हजार पत्तों पर रु. 1.60 (एक रु. साठ पैसे) लागू होने की अधिसूचना प्रकाशित की गई।

(6) अधिसूचना क्र. - एफ 26-40-75-3-X-3 दि. 17 दिसम्बर 1975 (म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 17-12-1975 पृष्ठ 2750) द्वारा वर्ष 1 जुलाई 1975 से प्रारंभ होकर 30 जून 1976 के लिये तेंदूपत्तों के संकलन व्यय की दर 50 तेंदू पत्तों की 100 गड्डी या 5000 पत्रों के लिए रु. 2.10 (दो रुपये, दस पैसे) लागू होने की घोषणा की गई।

(7) धारा 4 के अधीन अभिकर्त्ता नियुक्त करने तथा अभिकर्त्ता नियुक्ति को रद्द करने के प्राधिकार राज्य शासन ने क्षेत्रीय वृत्त के प्रभारी समस्त वन संरक्षकों (Conservator of Forests) को अधिसूचना क्र. 3974-X-(2)-70 दिनांक 17 अप्रैल 1970 के अधीन प्रदान किये तथा विभागीय अधिसूचना क्र. 246 -X-65 दिनांक 12 जनवरी 1965 को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया :-

उक्त अधिसूचना क्र. 246-X-65 दिनांक 12 जनवरी 1965 में संलग्न अनुसूची क्रमांक 2 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की गईं अर्थात् :-

अनुसूची क्र. 2

सीरियल नं. (1)	शक्तियां (2)	प्राधिकारी (3)	शर्तें तथा निबन्धन (4)
2.	अधिनियम की धारा 4 के अधीन अभिकर्त्ता नियुक्त करने और उनकी नियुक्ति रद्द करने की शक्तियों के प्राधिकार	क्षेत्रीय वृत्त के प्रभारी वन-संरक्षक	

धारा 5 के अधीन अधिसूचना :

[धारा 5 की उपधारा (1) के क्लाज (बी) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए म. प्र. राज्य

सरकार ने अधिसूचना क्र. 6505-X-65 दिनांक 29-5-1965 (म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 29-5-1965 पृ. 1615) के अधीन समस्त वन अधिकारियों को जो फारेस्टर की पद श्रेणी से नीचे नहीं हों तथा डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर की पद श्रेणी से ऊपर श्रेणी के नहीं हों- तेंदू पत्तों की खरीद करने तथा परिवहन (Transport) करने की शक्ति प्रदान की है।]

म. प्र. राज्य लघु वन उपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित की अभिकर्त्ता (Agent) के रूप में नियुक्ति तेंदू पत्ते व्यापार (विनियमन) अधिनियम 1964 के उद्देश्यों के निर्वहन में सहायक एवं सुसंगत है। यह संघ सहकारिता अधिनियम 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है यह प्रायमरी सोसाइटीज की सहायता से एक शीर्ष निकाय होन के नाते कारोबार करती है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सोसाइटीज अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में जन जातियों को शामिल करके कार्य संचालन कर रही है। ये संघ पिछड़ी वर्ग के क्षेत्रों में अनुसूचित जन जाति वासी क्षेत्रों में 17 जिलों में तेंदू पत्तों के संग्रहण का कार्य उचित पारिश्रमिक देकर करा रही है जिसका प्रयोजन आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है अतएव सहकारी संघ के अभिकर्त्ता के रूप में पूर्व आवेदन आमंत्रित किये बिना- किया जाना बिल्कुल अवैध नहीं बल्कि कानून के उद्देश्य के अनुकूल हैं। साथ ही इसमें मप्र. राज्य शासन के विरुद्ध करारात्मक वचन निबंध (Promissory Estoppel) भी लागू नहीं होता क्योंकि शासन ने इस धारा 4 के तहत कोई Promise अभिकर्त्ता की नियुक्ति के सिलसिले में नहीं किया है। संघ पर राज्य सरकार का नियंत्रण है और सहकारी संघ के लाभ को 2% प्रतिशत तक प्रतिबंधित किया है। मुख्य लाभ राज्य सरकार ही उठाती है। (AIR 1963 SC 1047)- अनुसरित, (AIR 1986 SC 806 referred),

राज्य सरकार ने करारनामे के क्लॉज 29 के अधीन आवेदक को यद्यपि नवीनीकरण कराने का प्रावधान रखा है किन्तु आवेदक की जो बोली राज्य सरकार ने जिस Unit के रूप में स्वीकार की थी, उसी को आवेदक ने (Re-grouped) पुनर्गठन का रूप दे दिया अतएव वर्तमान दशा में उसे नये पुनर्गठित इकाई के नवीनीकरण का प्रारंभिक करार के क्लाज 29 की बिना पर प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ***(हरी ओम*** वि. ***स्टेट म.प्र., ए.आय.आर.*** *1987* ***म.प्र.*** *212)*

संविधान का अनुच्छेद 14 - यह अपेक्षा करता है कि राज्य सरकार के कार्यों में मनमानापन स्वच्छंदता और विभेद कारक नीति नहीं हो बल्कि उसके कार्यों में युक्तियुक्त विवेक और एक ही परिस्थिति और समान गुण-धर्म एवं एक जैसे अवसर पर समान व्यवहार करने की नीति परिलक्षित हो और उसकी नीति में लोकहित और युक्तियुक्तता पर आधारित विवेक रहना चाहिये और राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के अनुरूप ही विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का सृजन होना चाहिये।

जहां टेन्डर देने वालों के प्रस्तावों में निविदाओं के शब्दों में तथा अंकों में काट-छांट हेरा फेरी की गई हो वहां यह न्यायोचित है कि ऐसी निविदाओं को नामंजूर किया जाय। अतएव ऐसी काट छांट-हेरा फेरी की गई निविदाओं की की गई अस्वीकृति पूर्णतः वैध है। सहकारी संघ राज्य सरकार का एजेन्ट होने के नाते राज्य सरकार की नीतियों के निर्वहन के लिए जिम्मेवार है इस सहकारी संघ के प्रबंधक संचालक मुख्य वन संरक्षक, सहकारी संघ की प्रतिनियुक्ति पर दिये गये है अतएव यद्यपि उनकी निविदाओं पर विचार की बैठक में भागीदारी आवश्यक थी लेकिन केवल इस कारण कि प्रबंध संचालक की अनुपस्थिति से हस्ताक्षर निविदाओं की अस्वीकृति के विनिश्चय में नहीं हो सके, बैठक अवैध करार नहीं दी जा सकती जिन निविदाओं की अस्वीकृति की गई है उनके डिफाल्ट से राज्य सरकार/अभिकर्त्ता सहकारी संघ को वास्तविक कोई हानि नहीं हुई है अतएव रकम सुरक्षा निक्षेप (Security deposit) की समपहरण (Forfeiture) की कार्यवाही आवश्यक नहीं है- ***हाजी अब्दुल सत्तार*** वि. ***म.प्र. राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ*** = ***ए.आय.आर.*** *1989* ***म.प्र.*** *7 = 1988* ***म.प्र.ला.ज.*** *810 = 1989 JLJ 185)* ; (कानून के विरुद्ध विवंध नहीं होता - ***सत्यप्रकाश वि. बालकिशन*** - *1995* ***राजस्व निर्णय*** *75* ***हाईकोर्ट)*** ।

तेंदू पत्ता के नीलाम में बोली लगाने वाला - नीलाम धन डिपाजिट करने में त्रुटिकर्त्ता रहा इस कारण दुबारा नीलाम में कमी रही। इस कमी रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में नहीं की जा सकती- ***(सुमति विनोदीलाल (फर्म)*** वि. ***म.प्र. राज्य-*** *1995* ***राजस्व निर्णय*** *46* ***हाईकोर्ट*** (जस्टिस टी.एस. दोआविया) (तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन)- नियमावली-नियम 3 (10) (एक) (तीन) तथा (चार) एवं

धारा 155 (ख) म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959); 1971 राजस्व निर्णय 132 पैरा 8 डीबी हाईकोर्ट ***के.पी. चौधरी*** वि. ***स्टेट म.प्र.*** निर्णय सुप्रीम कोर्ट से केस रिमाण्ड होने पर हाईकोर्ट म. प्र. ने लिया- रिमाण्ड केस ***के.पी. चौधरी*** वि. ***स्टेट म.प्र.- ए.आय.आर. 1967 सु.को. 203)*** संविधान के अनुच्छेद 299 के अधीन संविदा की पूर्ति होना आवश्यक है जिसका अभिलेख पर कोई आधार उपलब्ध नहीं-हाईकोर्ट को रिमाण्ड किया गया) (1971 रा. नि. 132 हाई. इस मामले में in para materia तदनुरूप होने से अनुसरित किया गया) ;

इस कानून द्वारा म. प्र. राज्य के पक्ष में तेंदू पत्ते की एकाधिकारिता (Monopoly) कायम की गई इस कारण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता है- ***(ब्रजलाल मनीलाल एण्ड कं. (मेसर्स)*** वि. ***म.प्र.राज्य - 1987 राजस्व निर्णय, 1 (सुप्रीम कोर्ट) (लाल राधौशाह*** वि. ***स्टेट म.प्र., ए.आय.आर. 1967 म.प्र. 218 = 1967 ज.लाज 569 = 1967 म.प्र.लाज 23),***

म. प्र. तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964,– म. प्र. राज्य सरकार की नीति मजूदर श्रमिकों के हित के विपरीत नहीं है तथा लोक हित के विरुद्ध नहीं है राज्य सरकार के तत्सम्बन्धी विभिन्न वन अधिनियम नियमों में अनेक प्रावधान है। यह कहना पर्याप्त है कि उन प्रावधानों में अपकृत्य तथा भ्रष्ट आचरण करने वाले लोगों तथा भ्रष्ट कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के उपबन्ध किये गये हैं और यदि ऐसे व्यक्तियों के दुष्कृत्यों या भ्रष्ट कार्यों से राज्य को राजस्व में कोई हानि पहुंचाई जाती है तो राज्य सरकार उनके कार्य के विपरीत-प्रभावकारी कार्यवाही कर सकती है लेकिन तेंदू पत्ता व्यापार में राज्य द्वारा किये गये कार्य में यदि कहीं कुप्रबन्ध, हानि कर कार्य या भ्रष्ट आचरण पाया जाता है तो इस कारण राज्य सरकार की नीति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उसे लोक हित के विरुद्ध या exchequer को हानि पहुंचाने वाली नहीं कहा जा सकता - ***(एच.एन. सुन्दरेश*** वि. ***स्टेट म.प्र.*** – *1989* ***म. प्र. जुडीशियल रिपोर्टर (हाईकोर्ट)*** *474 (477) ,* ***(हाईकोर्ट)*** ;

जहां निविदाकर्त्ताओं की नियुक्ति उनकी क्रय सामर्थ्य (Purchasing Capacity) को देखते हुए की जाती है तब उच्चतर बोली के ऑफर को अग्रिमता या अधिमान (Priorities) देना (Legal) वैध है- विभिन्न Lots में विभिन्न निविदाकर्त्ताओं के Offers में किसी Offer की स्वीकृति के लिए जो नीति अपनाई गई वह ठीक है- ***मुकेश एण्ड कं. टूबैको प्रोडक्ट्स (प्रायवेट) लिमिटेड*** वि. ***म.प्र. राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ तथा अन्य, 1990 ज.ला.ज. 202 (206);***

सरकार से खरीदे गए तेंदू पत्तों के बैग्स से अधिक बैग्स क्रेता के कब्जे में पाये जाने पर अतिरिक्त बैग्स का मूल्य सरकार लेने की हकदार है। तथ्यात्मक प्रश्नों पर रिट (Writ-याचिका) सुनवाई योग्य नहीं केवल सिविल कोर्ट समुचित न्याय-मंच है ऐसे विनिश्चय पर अन्यथा हस्तक्षेप उचित नहीं- ***(भागू भाई विराज लाल*** वि. ***म.प्र. राज्य***, *1992 Supp. (1)* ***सुप्रीम कोर्ट केसेज*** *707)*

(स्टेट म.प्र. वि. ***गट्टू लाल कैलाशचन्द्र जैन*** - *1992 FLT, 141)* नियम 2 (10) म. प्र. तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 - विहित स्टैन्डर्ड गड्डी की अपेक्षा कथित रूप से अधिक पत्ते लेने पर खरीदार के विरुद्ध कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी या संविदा के अधीन प्रावधान के अभाव में कार्यवाही नहीं हो सकती। इस कमी की ओर हाईकोर्ट ने विधि विभाग को ध्यान दिलाया कि इस Lacuna को Plug किया जाय-जस्टिस डॉ. टी. एन. सिंह हाईकोर्ट (म. प्र.)

धारा 6. मंत्रणा समिति का गठन- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक राजस्व आयुक्त के संभाग में विक्रय के हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले तेन्दू पत्ते, राज्य शासन, या उसके किसी प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा, किस उचित तथा युक्तियुक्त मूल्य पर क्रय किये जायें इसे समय-समय पर निश्चित करने हेतु, राज्य शासन पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले तथा 30 को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिये, मंत्रणा समिति गठित करेगा, जिसमें अधिक से अधिक 9 सदस्य होंगे, कि राज्य शासन द्वारा, समय-समय अधिसूचित किये जायें :

परन्तु उनमें से दो सदस्य तेन्दू पत्ता के व्यापारियों में से या बीड़ी के निर्माताओं से होंगे और चार सदस्य राज्य शासन को छोड़कर, तेन्दू के अन्य उगाने वालों में से होंगे।

(2) समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि वह राज्य शासन को ऐसे अन्य विषयों के सम्बन्ध में सलाह दें जो कि उसे राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट किये जायें ।

(3) समिति का काम-काज ऐसी रीति से संचालित किया जावेगा जो कि विहित की जायें ।

(4) समिति का सदस्य ऐसे भत्तों (Allowances) का हकदार होगा, जो कि विहित की जायें ।

(5) समिति, राज्य शासन को अपनी सलाह ऐसी कालावधि के भीतर देगी जैसी कि राज्य शासन प्रत्येक समिति के लिये इस सम्बन्ध में उल्लिखित करे ।

धारा 7. राज्य शासन समिति के परामर्श से मूल्य निश्चित करेगा- राज्य सासन धारा (6) के अधीन गठित समिति से परामर्श करने के पश्चात् वह मूल्य निश्चित करेगा, जिस पर कि किसी ऐसे वर्ष के दौरान, जिसके लिये धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन समिति गठित की गई हो, किसी राजस्व आयुक्त के संभाग में, राज्य शासन को छोड़कर तेन्दू पत्तों के अन्य उगाने वालों से, उसके द्वारा या उसके किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, या उसके अभिकर्ता द्वारा तेन्दू पत्तों का क्रय किया जावेगा और [1][वह उसे राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति में जो शासन द्वारा इस हेतु अधिसूचित की जावे प्रकाशित करेगा] और इस प्रकार निश्चित किया मूल्य उस वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जायेगा, जिससे वह मूल्य संबंधित हो :

परन्तु यदि समिति धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन उल्लिखित कालावधि के भीतर या पन्द्रह दिन से और अनधिक ऐसी और कालावधि के भीतर, जैसी कि राज्य शासन समनुज्ञात (Allow) करे, सलाह न दे, तो राज्य शासन समिति की परामर्श के बिना ही मूल्य निश्चित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा :

परन्तु यह भी कि भिन्न-भिन्न इकाइयों के भिन्न-भिन्न मूल्य निश्चित किये जा सकेंगे और ऐसा करने में अन्य बातों के साथ निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जायेगा :—

(क) तेन्दू पत्तों के मूल्य जो पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान इकाई में समाविष्ट क्षेत्र के संबंध में प्रचलित रहे हों या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन निश्चित किये गये हों ।

(ख) इकाई में उगे पत्तों की विशेषता (Quality) पर,

(ग) इकाई में उपलब्ध परिवहन सुविधायें,

(घ) परिवहन व्यय, और

(ङ) इकाई में प्रचलित अकुशल श्रमिकों (Unskilled Labour) के लिये प्रचलित मजदूरी दर ।

धारा 8. संग्रहागारों का खोला जाना तथा संग्रहागारों (फड़ों) पर मूल्य सूची आदि का प्रकाशन– प्रत्येक इकाई में ऐसी संख्या में तथा ऐसे स्थानों पर, जैसा कि राज्य शासन, तेन्दू पत्ता उगाने वालों की सुविधा का विचार करते हुए निर्देशित करे, संग्रहागार (फड़ें) स्थापित किए जायेंगे और धारा 7 के अधीन राज्य शासन द्वारा निश्चित की गई तेन्दू पत्तों की मूल्य सूची, काम-काज के घण्टे, उस सूचना फलक पर प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किए जायेंगे जो कि इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक ऐसे संग्रहागार में रखा गया हो ।

धारा 9. राज्य शासन या अभिकर्ता तेन्दू पत्तों का क्रय करेगा- (1) राज्य शासन या उसका प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता काम-काज के घंटों के भीतर संग्रहागार (फड़) में विक्रय के लिए प्रस्तुत किए गए तेन्दू पत्ते धारा 7 के अधीन निश्चित किए मूल्य पर खरीदने को बाध्य होगा ।

(2) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा उसके पत्तों के अस्वीकार कर दिए जाने के कारण परिवेदित (दुखी) कोई भी व्यक्ति ऐसी अस्वीकृति के पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसी इकाई पर, जिसमें कि पत्ते उगे हों क्षेत्राधिकार रखने वाले वन मण्डलाधिकारी

1. [धारा 7 में संशोधन- अधिनियम क्र. 7/1989 (राजपत्र असाधारण दि. 17-4-1989 पृ. 739-741) द्वारा]

या इस संबंध में राज्य शासन द्वारा सशक्त किए जा सकने वाले अन्य पदाधिकारी को मामला निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, यथास्थिति वन मण्डलाधिकारी, या ऐसा अन्य पदाधिकारी, उसी स्थान पर या मुख्यालाय पर विहित रीति से जांच करेगा और संबंधित पक्षों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ता को सुनने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह ठीक समझे और उस दशा में जब वह पत्तों को अस्वीकार करना अनुचित पाता हो—

(क) यदि वह प्रश्नाधीन पत्तों को अब भी बीड़ियों के निर्माण के लिए उपयुक्त समझता हो, यथास्थिति पदाधिकारी या अभिकर्ता को उसका क्रय करने के आदेश दे सकेगा और परिवेदित (दुखी) व्यक्ति को ऐसा अतिरिक्त प्रतिकर जैसा कि वह उचित समझे, और जो उसे पत्तों के देय मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, भुगतान के लिए निर्देश दे सकेगा ।

(ख) यदि वह समझे कि प्रश्नाधीन पत्ते, इस बीच बीड़ी के निर्माण के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं तो परिवेदित को ऐसी रकम जो कि उपधारा (1) के अधीन उसको ऐसे पत्तों के देय मूल्य से कम न हो, तथा ऐसे व्यक्ति के द्वारा उठाई गई हानि के लिए क्षतिपूर्ति धन के रूप में ऐसा अग्रेतर प्रतिकर, जैसा कि वह उचित समझे और जो ऐसे मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, भुगतान के लिए निर्देश दे सकेगा ।

(4) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लिया जायेगा कि यदि राज्य शासन, उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह विश्वास करने के कारण हों कि विक्रय के लिये प्रस्तुत किये गये पत्ते राज्य शासन के वनों या भूमियों के हैं, तो ऐसे पत्तों को अधिकार में लेने और केवल ऐसे संग्रहण संबंधी व्ययों के, यदि कोई हों, जैसे कि राज्य शासन समय-समय पर अवधारित करे, भुगतान करने में कोई रुकावट आती है :

किन्तु किसी विवाद की दशा में, वन मण्डलाधिकारी (D.F.O.) या ऐसा अन्य पदाधिकारी, जो कि उपधारा (2) में उल्लिखित किये गये रूप में इस संबंध में विशिष्ट रूप से सशक्त कर दिया जावे, उसमें उपबंधित रीति में उसे सुनेगा तथा उसका निपटारा करेगा ।

टिप्पणी–धारा 9

धारा 9 (2) के अधीन अधिसूचना क्र. 247-X-65 दि.12-1-1965 (म.प्र.राजपत्र-असाधारण, दि. 12-1-65 पृष्ठ 34- द्वारा कार्यवाही की जाने के लिये समस्त रेन्ज आफीसर्स को राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है ।

धारा 10. रजिस्ट्रीकरण - राज्य शासन को छोड़कर तेन्दू पत्तों का अन्य उगाने वाला, यदि यह संभावना हो कि वर्ष के दौरान, उसके द्वारा उगाये पत्ते का परिणाम ऐसे परिमाण से जो विहित किया जावे, अधिक हो जावेगा, स्वयं को विहित रीति से रजिस्ट्रीकृत करा लेगा ।

धारा 11. बीड़ियों के निर्माताओं तथा तेन्दू पत्तों के निर्यातक का रजिस्ट्रीकरण - (1) बीड़ियों का प्रत्येक निर्माता तथा तेन्दू पत्ते का प्रत्येक निर्यातक ऐसी कालावधि के भीतर, ऐसी फीस की देनगी पर ऐसी रीति में जैसी कि निहित की जावे, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करा लेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया बीड़ियों का प्रत्येक तथा तेन्दू पत्तों का प्रत्येक निर्यातक ऐसे प्ररूप में, ऐसे दिनांक तक, तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, घोषणा प्रस्तुत करेगा ।

धारा 12. पत्तों का निवर्तन (Disposal of Leaves) व्ययन- इस अधिनियम के अधीन, राज्य शासन द्वारा या उनके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा क्रय किये तेन्दू पत्तों ऐसी रीति में, जैसा कि राज्य शासन निर्देश दे, बेच दिये जावेंगे या उनका अन्यथा निवर्तन कर दिया जायेगा ।

टिप्पणी - धारा 12

(1) सरकार संविदात्मक जब करार करती है तब तेंदू पत्ते के व्ययन (Disposal) के प्रयोजन के लिए उसे समस्त संबंधित व्यक्तियों से एक ही परिस्थिति और अनुरूपता में समान व्यवहार

और समान अवसर देना होगा। उसे क्रेताओं में ऐसा वर्गीकरण नहीं करना होगा कि जिन्होंने विगत वर्ष में उसके सन्तोषजनक कार्य किया केवल उन्हें यूनिटों का डिस्पोजल किया जाय। सरकार अन्यों को ऐसे कार्यवाही में भाग लेने से वंचित नहीं रख सकती, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 19 (1) (9) में गारन्टी दी गई है। तेन्दू पत्तों के विक्रय की स्कीम में विभेदकारी नीति नहीं अपनाई जा सकती। देखना यह होगा कि एक ओर जहां राज्य शासन को व्यापार से पूरा लाभ मिले वहीं दूसरी ओर तेंदू पत्ते उगाने वालों तथा संग्रहकर्त्ताओं के श्रम का शोषण न हो। वर्गीकरण में कानून के उद्देश्य के प्रति न्यायोचित एवं युक्तियुक्त सम्बन्ध रहना चाहिये *[जवाहर एण्ड कं. कटनी* वि. *म.प्र. राज्य, ए.आय.आर. 1981 म.प्र. 214 = 1981 म.प्र. ला.ज. 519 = 981 ज.ला.ज. 580]*

तेंदू पत्ता फारेस्ट यूनिट की पुनर्नीलामी के विनिश्चय पर पूर्व के विक्रय में सबसे ऊंची बोली के निविदा पेश करने वाले की जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है और पूर्व के विक्रय की कार्यवाही शेष नहीं रहती जब कि सबसे ऊंची बोली की निविदा स्वीकृत न करके पुनर्नीलामी की गई हो, पुनर्नीलामी पर विक्रय धन की कमी को पूर्व बोली लगाने वाले से मांगा जाना और वसूली की कार्यवाही अवैध है- तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना काली सूची में दर्ज करना भी अवैध है- ***श्रीमती शारदा सवानी*** वि. *राज्य म.प्र., ए.आय.आर. 1987 म.प्र. 281 (283)*

***धारा 12-क. अतिरिक्त तेन्दू पत्तों का पुनर्विक्रय -** (1) कोई बीड़ियों का निर्माता या तेन्दू पत्तों का निर्यातक, जिसके पास उसकी आवश्यकता या निर्यात के पश्चात् अतिरिक्त मात्रा में तेन्दू पत्ता बचा रह जाता हो, तेन्दू पत्तों के ऐसे अतिरिक्त बचे तेन्दू पत्तों का पुनर्विक्रय राज्य शासन की या ऐसे किसी पदाधिकारी की जो इस संबंध में प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा, वह व्यक्ति, जो ऐसे तेन्दू पत्तों का पुनर्विक्रय करने का अभिप्राय रखता हो राज्य शासन अथवा प्राधिकृत को ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा।

(2) कोई बीड़ियों का निर्माता या तेन्दू पत्तों का निर्यातक जो इस धारा की उपधारा (1) में वर्णित तेन्दू पत्तों में ऐसे अतिरिक्त परिमाण का क्रय करने का अभिप्राय रखता हो, उसका क्रय राज्य शासन की या ऐसे किसी प्राधिकारी की, जो इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा। ऐसा बीड़ियों का निर्माता या तेन्दू पत्तों का निर्यातक राज्य शासन को या ऐसे किसी पदाधिकारी को, जो इस संबंध में प्राधिकृत किया जाए, ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा।

(3) तेन्दू पत्तों का पुनर्विक्रय करने के उपधारा (1) के अधीन आवेदन तथा ऐसे तेन्दू पत्तों का क्रय करने के लिए उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य शासन या प्राधिकृत पदाधिकारी क्रेता द्वारा ऐसी राशि की, जो कि विहित की जाए, देनगी की जाने पर, उन दोनों को लिखित में अनुज्ञा दे सकेगा।

टिप्पणी धारा 12 A

*(1) संशोधन अधिनियम क्र. 7/1989

(2) एक मात्र निविदाकार ने निविदा खोली जाने के पूर्व उसे विद ड्रा (Withdraw) करने की अर्जी पेश की किन्तु निविदा खोली गई। निविदा पेश करने वाले ने करारनामा नहीं निष्पादित कराया ऐसी अवस्था में निविदा की शर्तें विधिक स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाई और संविधान के अनुच्छेद 299 के अनुसार संविदा के अभाव में तेन्दू पत्ते के पुनर्नीलामी के विक्रय मूल्य की अन्तर राशि धारा 82 के अधीन वसूली योग्य नहीं– ***राजेन्द्र कुमारी वर्मन*** वि. *म.प्र. राज्य-ए.आय.आर. 1972 म.प्र. 131 = 1972 म.प्र.ला.ज. 648 = 1972 ज.ला.ज. 345 (तथा - 1980 (1) म.प्र. वीकली नोट 303)*।

धारा 13. शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Power)- राज्य शासन, आदेश द्वारा, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सहायक वन संरक्षण से अनिम्न श्रेणी के किसी भी पदाधिकारी या प्राधिकारी को अपनी किन्हीं भी शक्तियों से या कृत्यों से प्रत्यायोजित कर सकेगा जो कि उन्हें ऐसी शर्तों या निबन्धनों के अधीन, जैसी की राज्य शासन

आदेश में उल्लिखित करे, प्रयोग में लायेगा तथा सम्पादित करेगा ।

टिप्पणी धारा 13

अधिसूचना क्र. 246-X-65 दिनांक 12-1-1965 (म.प्र.राजपत्र दि. 12-1-1965 पृष्ठ 34) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची (Schedule) के कालम (2) में बताये गये अधिकारों को राज्य सरकार ने कालम नं. (3) में बताये प्राधिकारियों को संशोधित अधिसूचना क्र. 618-X-71 दि. 18-2-1971 (म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 24-2-1971 पृष्ठ 206) के अनुसार प्रत्यायोजित किये हैं:-

अनुसूची

अनु क्रमांक (1)	शक्तियां (2)	प्राधिकारी (3)	शर्तें और निर्बन्धन प्रतिबन्ध (4)
1.	अधिनियम की धारा 3 के अधीन यूनिटों के गठन की शक्ति	(1) मुख्य वन संरक्षक म. प्र., भोपाल (2) उप मुख्य वन संरक्षक, भोपाल (3) वन संरक्षक (तेंदू पत्ता) भोपाल	वह शक्ति सरकार म. प्र. के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके प्रयोग की जा सकेगी
*2.	अधिनियम की धारा 4 के अधीन एजेन्ट की नियुक्ति करने तथा एजेन्ट की नियुक्ति कैन्सिल (रद्द) करने की शक्ति *[म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 21-4-1970 पृ. 916 द्वारा प्रतिस्थापित], (नोटीफिकेशन 17-4-1970)	(1) क्षेत्रीय वृत्तों के प्रभारी वन संरक्षक	
3.	अधिनियम की धारा 8 के अधीन डिपो खोलने के निर्देश देने की शक्ति	(1) डिवीजनल फारेस्ट आफीसर्स	

***धारा 14. अधिहरणीय सम्पत्ति के अभिग्रहण की शक्ति और उसके लिये प्रक्रिया-** (1) समस्त वन पदाधिकारी या सहायक उप-निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई भी पुलिस पदाधिकारी या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों के पालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से उक्त उपबंधों का पालन किया गया है-

(एक) तेन्दू पत्ते के परिवहन के लिए उपयोग में लाये गये या उपयोग में लाये जाने के लिये अभिप्रेत किसी नाव, गाड़ी या तेन्दू पत्ता भरने के लिये उपयोग में लाया जाने वाला आधान पात्र (Receptacle) को रोक सकेगा या उसकी तलाशी ले सकेगा ।

(दो) किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा ।

(2) तेन्दू के उन पत्तों का जिनके संबंध में यदि सन्देह हो कि इस अधिनियम के अधीन या उसके बनाये नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, किया जा रहा है, किया जाने वाला है, तो वह सामान, जिसमें पत्ते रखे हों या पत्तों को ले जाने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली गाड़ियों या नाव सहित अभिग्रहण कर सकेगा ।

* धारा 14, 14-A (क) लगायत ख, ग, घ म. प्र. संशोधित अधिनियम क्र. 34/1987 द्वारा प्रतिस्थापित । (म.प्र. राजपत्र असाधारण 18-9-1987 पृष्ठ 1789-1795).

(3) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसे राज्य शासन ने इस संबंध में प्राधिकृत किया हो, ऐसी समस्त सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला एक चिन्ह लगायेगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण किया गया है और अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति को या तो यथाशक्य शीघ्र सहायक वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी के पदाधिकारी के या किसी ऐसे व्यक्ति के जिसे राज्य शासन ने, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में प्राधिकृत किया हो, (जो इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत पदाधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) समक्ष पेश करेगा, या जहां परिमाण (Quantity) या प्रपुंज (बल्क) को या अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह साध्य न हो कि अभिगृहीत की गई सम्पत्ति को प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष पेश किया जा सके, वहां वह अभिग्रहण की बाबत प्रतिवेदन प्राधिकृत पदाधिकारी को करेगा, या जहां अपराधी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाहियां तुरन्त आरंभ करना अभिप्रेत हो, वहां ऐसे अभिग्रहण का प्रतिवेदन उस मजिस्ट्रेट को करेगा जो उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखता हो जिसके कि कारण अभिग्रहण किया गया है :

परन्तु जब वे तेन्दू पत्ते जिनके बारे में ऐसा अपराध किये जाने का विश्वास किया जाता है, शासन की सम्पत्ति है, और अपराधी अज्ञात है, तब यदि पदाधिकारी परिस्थितियों के बारे में प्रतिवेदन अपने पदीय वरिष्ट को यथाशीघ्र दे देता है तो वह पर्याप्त होगा ।

(4) उपधारा (6) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जब प्राधिकृत पदाधिकारी का यथास्थिति तेन्दू पत्तों को अपने समक्ष पेश किये जाने पर या अभिग्रहण के बारे में प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, यह समाधान हो जाता है कि उसके बारे में अपराध किया गया है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, उन तेन्दू पत्तों को, जो इस प्रकार अभिगृहित किये गये हैं, समस्त औजारों, गाड़ियों, नावों, रस्सों, जंजीरों या किन्हीं अन्य वस्तुओं सहित, जिनका कि उपयोग ऐसे अपराध के करने में किया गया है अधिहृत कर सकेगा । अधिहरण के आदेश की एक प्रति असम्यक् विलम्ब के बिना उस वृत्त के वन संरक्षक को भेजी जायेगी जिसमें कि तेन्दू पत्तों को अभिगृहीत किया गया है ।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी संपत्ति को अधिहृत करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्राधिकृत पदाधिकारी—

(क) सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाहियां शुरू किये जाने के बारे में सूचना उस अपराध का जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को विहित प्ररूप में नहीं भेज देता;

(ख) उस व्यक्ति को, जिससे यह सम्पत्ति अभिगृहीत की गई है तथा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके बारे में प्राधिकृत पदाधिकारी को यह प्रतीत होता हो कि उसका ऐसी सम्पत्ति में कोई हित है, लिखित सूचना नहीं दे देता;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रस्तावित अधिहरण के विरुद्ध ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा कि सूचना में उल्लिखित किया जाये, अभ्यावेदन करने का अवसर दे देता; और

(घ) अभिग्रहण करने वाले पदाधिकारी की तथा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की, जिसे या उन्हें खण्ड (ख) के अधीन सूचना दी गई, सुनवाई उन प्रयोजन के लिये नियत किये जाने वाले दिनांक को नहीं कर लेती ।

(6) उपधारा (4) के अधीन किन्हीं औजारों, गाड़ियों, नावों, रस्सों, जंजीरों या किसी अन्य वस्तु के (जो अभिगृहीत किये गये तेन्दू पत्तों से भिन्न हो) अधिहरण का कोई आदेश नहीं किया जायेगा यदि उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, प्राधिकृत पदाधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि किन्हीं ऐसे औजारों, गाड़ियों, नावों, रस्सों जंजीरों या अन्य वस्तुओं का उपयोग उसकी या उसके नौकर या एजेन्ट की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और यह कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किये जाने के

लिये पूर्वोक्त वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिये समस्त युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वावधानियां बरती गई थीं।

*(7) इस धारा के अन्तर्गत की जाने वाली तलाशी एवं (अभिग्रहण seizure) के संबंध में भा.द.प्र. संहिता 1973 (क्र. 2-1974) की धारा 102 एवं 103 के तलाशी एवं Seizure (अभिग्रहण) के प्रावधान, जहां तक लागू हों में भी लागू होंगे।

टिप्पणी धारा 14

1. [अधिसूचना क्र. 248-X-65 दिनांक 12-1-1965 (म.प्र. राजपत्र-असाधारण दि. 12-1-1965 पृष्ठ 34)-धारा 14 म.प्र. तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के अधीन राज्य सरकार उक्त धारा के प्रयोजन के लिये, क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर समस्त वन अधिकारियों को प्राधिकृत करती है]

2. अभिग्रहण (Seizure) की कार्यवाही करने वाला एवं क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला-वन अधिकारी धारा 14 (2) के अधीन यह सन्देह होने पर कि इस अधिनियम या उसके नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है तब वह-सामान जिसमें तेन्दू पत्ते रखे हों या उपयोग में लाई जाने वाली गाड़ियों या नाव सहित अभिग्रहण कर सकेगा।

3. अभिग्रहण करने वाला क्षेत्रीय प्राधिकारी वन अधिकारी अभिग्रहीत वस्तु को चिन्हित करेगा कि अभिग्रहण की गई जानी जा सके और उसे शीघ्र सहायक वन संरक्षक के सामने पेश करेगा या अन्य, शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश करेगा, यदि स्थिति ऐसी हो कि अभिग्रहीत वस्तु की तादाद (Quantity) बहुत अधिक है, bulky भारी एवं बहुत समूहों में है या कोई वास्तविक (Genuine difficulty) कठिनाई उसे पेश करने में आ रही है तो अभिग्रहीतकर्ता अपना प्रतिवेदन (Report) ऐसे प्राधिकृत प्राधिकारी पेश करेगा या जहां अपराधी के विरुद्ध तुरन्त दण्डिक कार्यवाही करना चाही जाती हो वहां उस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश करेगा, ऐसा मजिस्ट्रेट उसके विचार करने की अधिकारिता रखने वाला होना चाहिये।

4. यदि तेंदू पत्ते शासन की सम्पत्ति हैं और अपराधी की जानकारी नहीं है तब अभिग्रहीतकर्त्ता अपने पदीय वरिष्ठ अधिकारी (Superior Officer) को यथा शीघ्र मामले का प्रतिवेदन दे देता है तो भी धारा 14 (3) के परन्तुक का पालन समझा जायगा।

5. धारा 14 की उपधारा 4 के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी का यह समाधान (Satisfy) होने पर कि वन अपराध कारित किया गया है तब वह पहले धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन –

   (A) अधिहरण (Confiscation) की कार्यवाही शुरू करने की इत्तिला (intimation) मामले की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा उस प्ररूप में जो विहित है (Prescribed form).

   (B) जिससे सम्पत्ति अभिग्रहीत की है उसे नोटिस या उस सम्पत्ति में हित रखने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी करके अभ्यावेदन (representation) करने का अवसर पहले देगा। नोटिस में समय, दिनांक अभ्यावेदन हेतु युक्तियुक्त नियत करेगा, समुचित अवसर होना चाहिये।

   (C) जिसने सीजर (अभिग्रहण) की कार्यवाही की है उसे भी नोटिस देकर सुनना होगा कि उसका मामले में क्या कहना है तथा जिन्हें नोटिस सुनवाई हेतु दिया गया है उन सभी की सुनवाई उस हेतु नियत दिनांक पर कर लेना होगी।

   (D) यह देखा जायगा कि जिस व्यक्ति की सम्पत्ति अधिहरण की जाना है उसे कथित अपराध कारित करने की जानकारी रही थी या नहीं उसकी स्वीकृति, मौन अनुकूलता, सहमति या उसके नौकर या उसके एजेन्ट, की स्वीकृति या मौन अनुकूलता या जानकारी के बिना अपराध किया गया। यह तथ्य साबित करने का समुचित अवसर उस सम्पत्ति के स्वामी को दिया जायगा। यदि यह पाया जाता है कि उस सम्पत्ति के स्वामी या एजेन्ट या नौकर ने कथित अपराध न कारित कर सकने के लिए यथा सम्भव पूर्व में पूर्ण सावधानियां बरतीं थी और अपराध उनकी बिना जानकारी या मौन सहमति (Without knowledge or

* [संशोधन अधिनियम क्र. 7/1989- (राजपत्र असाधारण दि. 17-4-89 पेज 739-741)

Connivance) किया गया तब सम्पत्ति का अधिहरण नहीं किया जायगा। ***स्टेट म.प्र.*** वि. ***रामगोपाल शर्मा*** - *1991 (1)* ***म.प्र.वी. नोट*** *66 = 1991 FLT (Sum) 16* ***म.प्र. हाईकोर्ट पी.सी. पोकर*** वि. ***स्टेट*** - *1994 FLT (74)* ***मद्रास, (रेंज आफिसर*** वि. ***प्रीतमसिंह*** *1990 FLT 162* ***आंध्र प्रदेश*** प्रमाण भार मालिक पर)

(E) उपरोक्त विधिवत कार्यवाही करने के बाद ही प्राधिकृत वन अधिकारी सम्पत्ति के अधिहरण (Confiscation) की कार्यवाही कर सकेगा यदि कार्यवाही में विधि का उल्लंघन किया जाता है तो कार्यवाही अवैध (illegal & void) शून्यवत होगी।

(F) उपरोक्त तलाशी (search) तथा अभिग्रहण (Seizure) में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 102, 103 के अधीन यथा शक्य प्रावधान लागू किये जा सकेंगे।

(G) प्राधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट का अधिहरण की कार्यवाही शुरू की जाने बाबत इत्तिला प्राप्त करने के बाद अन्तरिम या अन्तिम आदेश सम्पत्ति अभिग्रहीत को अभिरक्षा में देने या सौंप देने का आदेश द.प्र.सं. की धारा 451 या 457 में देने की अधिकारिता उस मामले में शेष नहीं रहती है *(**रिषीनाथ सिंह*** वि. ***स्टेट म.प्र.*** - *1992 FLT - 109 (**जस्टिस के.एल. इसरानी- हाइकोर्ट म.प्र.**)*

बाबू लाल लोधी वि. ***स्टेट म.प्र.*** - *1987* ***म.प्र.ला.ज.*** *316 = 1987* ***ज.ला.ज.*** *423;*

कन्हैया लाल वि. ***स्टेट म.प्र.*** - *1988* ***ज.ला.ज.*** *94*

तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 धारा 14 (6)- ट्रक में तेंदू पत्ते की ग्यारह बोरियां जा रही थीं जबकि निरीक्षण दल ने मात्र पांच तेंदू पत्ता बोरी का ट्रान्जिट पास होना पाया था। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तेंदू पत्ता वाहन जब्त किया गया। वन अधिकारी ने वाहन व तेंदू पत्तों के अधिहरण का निर्देश दिया था। अपीली कोर्ट ने वन अधिकारी की कार्यवाही की पुष्टि की। सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने पुनरीक्षण अर्जी निरस्त की। हाईकोर्ट ने विनिश्चित किया कि वन अधिकारी यह साबित नहीं कर सके कि वाहन के स्वामी को ऐसी कोई पूर्व जानकारी थी कि उसके वाहन को वन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में लिप्त होने की संभावना की। वाहन के माल अर्जीदार स्वामी की जानकारी के बिना भरा गया था। स्वामी की आपराधिक मनःस्थिति। आशय के बिना वाहन के स्वामी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वाहन स्वामी अर्जीदार को लौटाये जाने का आदेश दिया गया। *(**हरमीत सिंह भाटिया वि. म.प्र. राज्य***- *2004 (1) MPHT 10* ***म.प्र.**)*

मि. पि. 473/1991 निर्णीत दिनांक 23-3-1991 जिसमें यह करार दिया गया कि न्यायालय को केवल यह देखना होगा कि उसे प्राधिकारी वन अधिकारी द्वारा विधिवत अभिग्रहीत सम्पत्ति के अधिहरण किये जाने की कार्यवाही शुरू की जाने की इत्तिला प्राप्त हुई या नहीं यदि इत्तिला प्राप्त हो चुकी है तो न्यायालय को धारा 451 या 457 Cr.P.C. के अधीन कार्यवाही करने का अधिकार शेष नहीं रहता है, संशोधित धारा 52-C भारतीय वन अधिनियम तथा म.प्र. तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 14 (5) (A) के अधीन मजिस्ट्रेट को अधिहरण की कार्यवाही की इत्तिला होने पर अभिग्रहीत सम्पत्ति को कस्टडी में देने या सौंपने की अधिकारिता नहीं रह जाती है *(**डिवीजनल फारेस्ट आफीसर*** वि. ***जी.व्ही. सुधाकर राव*** - ***ए.आय.आर.*** *1986* ***सुप्रीम कोर्ट*** *328* ***तथा शेख सईद शेख हुसैन*** वि. ***ए.डी.चौधरी सहायक वन रक्षक***- *1991 FLT (Summary) 8 -* ***बॉम्बे डीबी हाईकोर्ट**) ;*

स्टेट म. प्र. वि. ***राकेश कुमार***- *1994 (1) MPJR 368* ***जस्टिस एस.के. दुबे म.प्र. हाईकोर्ट*** - संशोधित अधिनियम क्र. 25/1983-फारेस्ट आफीसर द्वारा ट्रक जब्त किया गया और वन अपराध कारित करने की सूचना सम्बद्ध मजिस्ट्रेट को दी गई। मजिस्ट्रेट को सम्पत्ति के निराकरण करने की अधिकारिता नहीं रहती है।

14-क. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील - (1) अधिहरण के किसी आदेश से परिवेदित कोई व्यक्ति, आदेश के लिये किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, या यदि ऐसे आदेश सम्बन्धी तथ्य की संसूचना उसे नहीं दी गई हो तो ऐसे आदेश की जानकारी होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस वनवृत्त के, जिसमें तेन्दू पत्ते अभिगृहीत किये गये हों, वन संरक्षक (जो इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) को लिखित में अपील कर सकेगा जिसके साथ ऐसी फीस दी जायेगी और जो ऐसे रूप में देय होगी जैसा कि विहित किया जाए, और उसके साथ अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी उस दशा में जबकि उसके समक्ष कोई

अपील न की गई हो, अभिग्रहण करने वाले पदाधिकारी को और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका कि अपील अधिकारी की राय में अधिहरण के आदेश प्रतिकूलत: प्रभावित होना संभाव्य है, (जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी, यदि कोई हो, आता है) स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही की सुनवाई की सूचना अधिहरण के आदेश की प्रति उसे प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर स्वप्रेरणा से दे सकेगा, और अपील के ज्ञापन के पेश किये जाने की दशा में, वह अपील की सुनवाई की सूचना उक्त व्यक्तियों को देगा, और मामले का अभिलेख मंगा सकेगा:

परन्तु अपील की कोई औपचारिक सूचना अपीलार्थी, अभिग्रहण करने वाले पदाधिकारी और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति जिसका कि पूर्वोक्तानुसार प्रतिकूल, प्रभावित होना संभाव्य है, में से उसको दिया जाना आवश्यक नहीं होगा जो सूचना अधित्यजन कर दे या जिसे अपील की सुनवाई का दिनांक अपील प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य रीति से सूचित किया जा सकता हो ।

(3) अपील अधिकारी, अपील किये जाने की, या स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही किये जाने के बारे में प्राधिकृत अधिकारी को लिखित सूचना देगा ।

(4) अपील अधिकारी अधिहरण की विषयवस्तु की अभिरक्षा परिरक्षण या व्ययन (यदि आवश्यक हो) के लिये अन्तरिम स्वरूप के ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि उसे उस मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत प्रतीत हो ।

(5) अपील अधिकारी मामले की प्रकृति या अंतर्गत जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए अपील के पक्षकारों को उनका प्रतिनिधित्व उनके अपने विधि व्यवसायियों के द्वारा किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(6) अपील की या स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही की सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को या ऐसी तारीख को, जिसके लिए सुनवाई रखी जावे, अपील अधिकारी अभिलेख का परिशीलन करेगा और यदि अपील के पक्षकार स्वयं उपस्थित हों तो उनकी सुनवाई करेगा या लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये किसी अभिकर्ता या विधि व्यवसायी की मार्फत सुनवाई करेगा और उसके पश्चात् अधिहरण के आदेश की पुष्टि करने, उसे उलटने या उसे उपान्तरित करने का आदेश पारित करने के लिये अग्रसर होगा, परन्तु कोई आदेश पारित करने के पूर्व अपील अधिकारी यदि अपील के या स्वप्रेरणा से की गई कार्यवाही के उचित निपटारे के लिये, यह आवश्यक समझा जाता है तो अतिरिक्त जांच या तो स्वयं कर सकेगा या प्राधिकृत अधिकारी से करवा सकेगा और किसी ऐसे तथ्य का, जो विचारर्थ उद्भूत हो, प्राख्यान या खण्डन करने के लिए पक्षकारों को शपथ पत्र फाइल करने के लिये अनुज्ञा दे सकेगा और तथ्यों का सबूत शपथ पत्र द्वारा किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(7) अपील प्राधिकारी पारिणामिक स्वरूप के ऐसे आदेश भी पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे ।

(8) अंतिम आदेश की या पारिणामिकस्वरूप के आदेश की प्रति पालन के लिये या अपील प्राधिकारी के आदेश के अनुरूप कोई अन्य समुचित आदेश पारित करने के लिये, प्राधिकृत पदाधिकारी को भेजी जायेगी ।

टिप्पणी

एक सिद्धान्त के परस्पर निर्णयों में पक्षकार को एक निर्णय पर भरोसा करने का पर्याप्त कारण होने से अपील म्याद के भीतर मान्य :-

धारा 5 Limitation Act-1963 के अधीन म्याद का फायदा देने या न देने के बारे में हाईकोर्ट के (1) **लालता प्रसाद वि. श्याम मोहन-** 1961 JLJ 150- में यह करार दिया गया कि यदि न्यायालय में निर्णय ऐसे दिन दिया जाता है जिसके पश्चात् छुट्टियां हों तथा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन न्यायालय खुलने के दिन के पश्चात् फाइल किया जाता है तब अपीलार्थी छुट्टियों के दिनों के फायदे का हकदार है ।

(2) एक निर्णय हाईकार्ट में **कन्हैया लाल वि. राम किशन** - 1966 JLJ 496 = AIR 1966 MP 340 के मामले में धारा 5 के बारे में यह हुआ कि यदि प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय के निर्णय

की प्रति प्राप्त करने के लिये आवेदन न्यायालय पुनः खुलने के पश्चात् किया जाता है तब अपीलार्थी अवकाश का फायदा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखेगा तथा अपील परिसीमा द्वारा वर्जित (will be barred by limitation) होगी। इस निर्णय को प्रीव्ही कौंसिल के निर्णय AIR 1935 P.C.-85 पर आधारित बताया गया। हाईकोर्ट ने **शोषर बाई वि. बालमुकुन्द** - 2004 (2) विधि भास्वर 240 के मामले में (जस्टिस सुभाष संवत्सर) प्रश्नाधीन अपील को परिसीमा के भीतर मानने में आधारित निर्णय 1961 JLJ 150 के आधार पर प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय को यह अभिमत व्यक्त करते हुये स्थिर रखा कि अपीलार्थी को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण था कि अपील परिसीमा के भीतर है क्योंकि एक निर्णय हाईकोर्ट उसके पक्ष में था। न्यायालय (प्रथम अपीली) को निष्कर्ष-साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित होने से हस्तक्षेप नहीं किया गया - (2004 (2) विधि भास्वर 240);

दाण्डिक प्रथा- "एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या" - यह केवल सावधानी (rule of caution) का नियम है- ***नारायन वि. स्टेट- 2004 (2) विधि भास्कर 219 सुप्रीम कोर्ट।***

- **अपीली न्यायालय का कर्तव्य - (सन्तोष हजारी वि. पुरुषोत्तम तिवारी मृत विधिक प्रतिनिधि द्वारा** - 2001(1) MPJR 217 (SC) at page 223 (पैरा 15) = 2001 (3) MPHT 71 (SC) (जस्टिस डॉ ए.एस. आनन्द, जस्टिस आर.सी. लाहौटी तथा जस्टिस ब्रिजेश कुमार) [विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से आम सहमति परिश्रम एवं मनोयोग पूर्वक विचार करने से बचने के लिये प्रथम अपीली न्यायालय को युक्तिकाम में नहीं लेना चाहिये]

सुप्रीम कोर्ट ने अभिमत प्रकट किया है :-

We would however, like to sound a note of caution. Expression of general agreement with the findings recorded in the judgement under Appeal should not be a device or camouflage adopted by the Appellate Court for shrinking the duty cast on it."

-विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण यदि सही है तो सामान्य सहमति व्यक्त की जा सकती है ***(गिरिजा नंदिनी देवी वि. ब्रिजेन्द्र नारायण चौधरी)*** *(AIR 1967 SC 1124),*

- विचारण न्यायालय के निर्णय को प्रथम अपीली न्यायालय यदि उलटना चाहती है तो उसे दो सिद्धांतों की ओर सावधान/सचेत रहना होगा:-

(1) प्रति विरोधी साक्ष्य पर आधारित तथ्यामक निष्कर्षों का वजन (weight) जांचना चाहिये और विशेषतः जब कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष मौखिक साक्ष्य पर आधारित हों और जिस विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने निर्णय दिया है वही पीठासीन अधिकारी के रूप में साक्ष्य रिकार्ड करने वाला रहा हो। निश्चित तौर पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि अपीली कोर्ट विचारण न्यायालय के निष्कर्षों पर लिये निर्णय को उलटने के लिये सक्षम नहीं (अर्थात् निर्णय अपीलाधीन उलटने के लिये सक्षम है)

(2) कानून की स्थिति का जहां तक संबंध है उसके अनुसार जहां किसी मामले में विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष साक्ष्य के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण अनियमितता (material irregularities) पर निर्भर हों, या

(3) ट्रायल कोर्ट (विचारण न्यायालय) के निष्कर्ष- कानून में ग्रहण न हो सकने योग्य साक्ष्य (non-admissible evidence) पर आधारित हों, या

(4) अटकलों, कल्पनाओं पर तथ्यों के निष्कर्ष ट्रायल कोर्ट (विचारण न्यायालय) ने मामले में निकाले हों।

ऐसी दशा में ट्रायल कोर्ट का निर्णय अपीली न्यायालय उलट सकता है **(मधुसूधन दास वि. श्रीमती नारायणी बाई तथा अन्य** - AIR 1983 SC 114) पर आधारित ट्रायल कोर्ट की राय असंभाव्य संतुलन (improbable balance) के कारण मानना आवश्यक न हो तब तक सहज में सुविचारित तथ्यात्मक निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होना चाहिये **(सरजू प्रसाद रामदेव साहू वि. जालेश्वरी प्रताप नारायण सिंह** AIR 1951 SC 120)

धारा 14-ख. अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष

पुनरीक्षण- (1) अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये अंतिम आदेश से या पारिणामिक स्वरूप के आदेश से परिवेदित हो, उस आदेश के, जिसके विरुद्ध आक्षेप किया जाना ईप्सित है, तीस दिन के भीतर, उस सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण के लिये याचिका प्रस्तुत कर सकेगा जिसके सेशन खण्ड के भीतर अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

व्याख्या- इस उपधारा के अधीन तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में, वह समय अपवर्जित कर दिया जायेगा जो अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित रहा हो।

(2) सेशन न्यायालय, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी अंतिम आदेश या किसी पारिणामिकस्वरूप के आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा, या उसे उपान्तरित कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण में पारित किये आदेश की प्रतियां अपील प्राधिकारी को तथा प्राधिकृत पदाधिकारी को, पालन के हेतु या ऐसे अतिरिक्त आदेश पारित करने हेतु या ऐसी अतिरिक्त कार्यवाही करने हेतु भेजी जायेगी जैसा कि ऐसे न्यायालय द्वारा निदेशित किया जाये।

(4) इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चय करने के लिये सेशन न्यायालय जहाँ तक हो सके उन्हीं का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसका कि प्रयोग और अनुसरण वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चय करने के समय करता है।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन पारित किया गया **सेशन न्यायालय का आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।**

धारा 14-ग. कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय आदि की अधिकारिता का वर्जन- (1) उस अपराध का, जिसके कारण उस सम्पत्ति का, जो कि अधिहरण की विषय-वस्तु है, अभिग्रहण किया गया है विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाहियां शुरू की जाने के बारे में धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन सूचना के प्राप्त होने पर, किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी (जो यथास्थिति धारा 14, 14-क में निर्दिष्ट प्राधिकृत पदाधिकारी, अपील पदाधिकारी तथा सेशन न्यायालय से भिन्न हो) को, इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस सम्पत्ति के कब्जे, परिदान, निवर्तन या विवरण के विषय में कोई आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके बारे में धारा 14 के अधीन अधिहरण की कार्यवाहियां शुरू हो गई हैं :

परन्तु सम्पत्ति के निवर्तन के लिये कोई आदेश पारित करने के पूर्व, मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन कोई सूचना उसके न्यायालय को या उस अपराध का जिसके कारण सम्पत्ति का अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है।

व्याख्या- जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने की अधिकारिता दो या अधिक न्यायालयों को हो, वहां ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में से किसी एक को धारा 14 की उपधारा

(5) के अधीन की सूचना प्राप्त हो जाने पर यह अर्थ लगाया जायेगा कि उस उपबंध के अधीन सूचना समस्त न्यायालयों पर प्रवर्तित होगा।

(2) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी भी बात के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह राज्य शासन द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी पदाधिकारी को इस बात से निवारित करती है कि वह धारा 14 के अधीन अभिगृहीत की गई किसी सम्पत्ति को तुरन्त निर्मुक्त किये जाने का निर्देश किसी भी समय दे।

धारा 14-घ. सम्पत्ति का अधिहरण जब कि वह उपज शासन की सम्पत्ति न हो- ऐसे समस्त तेन्दू पत्ते, जो दोनों में से प्रत्येक दशा में शासन की सम्पत्ति नहीं है और जिसके विषय में इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, तथा समस्त औजार, नावें, गाड़ियां, रस्से, जंजीरें या कोई अन्य वस्तुएं, जिनका प्रत्येक दशा में उपयोग ऐसा उल्लंघन करने में किया गया है, अपराधी को ऐसे उल्लंघन के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने पर धारा 14, 14-क, 14-ख तथा 14-ग के अध्यधीन रहते हुए अधिहरणीय होगी।

टिप्पणी

(1) **वन विभाग, भोपाल दि. 6-1-90 के क्र. एफ.- 18-3-87-X-3-** म. प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्र. 29 वर्ष 1964) की धारा 14 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, समस्त सहायक वन संरक्षक, जो उप वनमंडल (Sub-Division) के प्रभार में हों, को उक्त धारा में निहित प्रयोजन के लिये प्राधिकृत अधिकारी घोषित करता है। (म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 8-1-1990 पृ. 1) (म. प्र. ला. टाइम्स 1990 पार्ट II सीरियल 16, पृष्ठ 7)

(2) मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्र. 248/X/65 दि. 12-1-65– मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्र. 29, वर्ष 1964) की धारा 14 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन सभी वन अधिकारियों को उनके संबंधित अधिकार-क्षेत्रों के लिये कथित धारा के प्रयोजनों के लिये अधिकृत करती है।

धारा 15. शास्ति- यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो–

[1](क) वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम न हो लेकिन एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या अर्थदण्ड से जो पांच हजार रु. तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

जब तक कि न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो कि कम सजा से भी न्याय की मांग की पूर्ति हो जावेगी और वह उन कारणों को लेखबद्ध करेगी।

(ख) उन तेन्दू पत्तों को जिनके संबंध में ऐसा उल्लंघन किया गया हो, या उनके ऐसे भाग को, जैसा कि न्यायालय को उचित प्रतीत हो शासन के पक्ष में जप्त कर लिया जायेगा :

परन्तु यदि न्यायालय की राय है कि यथास्थिति सम्पूर्ण पत्तों या उसके किसी भाग के संबंध में जप्ती का निर्देश देना आवश्यक नहीं है, तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर, ऐसा नहीं करेगा।

धारा 16. चेष्टायें तथा दुष्प्रेरण (Attempt and abetment)- किसी भी व्यक्ति को,

1. संशोधन अधिनियम क्र. 7/1989 (राजपत्र असाधारण दि. 17-4-89 P. 739-41)

जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंध का उल्लंघन करने की चेष्टा करे, या उसके उल्लंघन को अभिप्रेरित (abets) करे, ऐसे उपबंध का उल्लंघन करने वाला समझा जावेगा।

धारा 17. अपराधों का संज्ञान (Cognizance)- खण्डीय वन पदाधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) से अनिम्न किसी वन पदाधिकारी द्वारा या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा, जो कि इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत कर दिया जावे, उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे कि अपराध बनता हो, किये गये लिखित प्रतिवेदन के बिना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

टिप्पणी

I अपराध का संज्ञान करने के लिये - धारा 17 के अधीन यह अनिवार्य है कि D.F.O. या अन्य प्राधिकृत वन अधिकारी की लिखित रिपोर्ट पर ही दंडनीय अपराध का संज्ञान किया जा सकेगा। न्यायालय अन्यथा दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

II प्राधिकार- की अधिसूचनाः-

राज्य शासन वन विभाग की अधिसूचना क्र. 249/X/65 दि. 12-1-65 से सभी सहायक वन संरक्षकों को तथा क्र. 8772/X/69 दि. 20-12-1969 से सभी अतिरिक्त सहायक वन संरक्षकों को धारा 17 के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत किया है। किन्तु राज्य शासन ने अब अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक का पद- नाम भी सहायक वन संरक्षक कर दिया है। पहली अधिसूचना राजपत्र (असाधारण) दि. 12-1-65 के पृष्ठ 34 पर तथा दूसरी मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दि. 22-12-1969 के पृष्ठ 2941 पर प्रकाशित हुई है।

धारा 18. सद्भावनापूर्वक किये गये कार्यों के सम्बन्ध में व्यावृत्ति (Saving)- किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के लिये, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार किया जाना अभिप्रेत रहा हो, पहुँचाये गये या संभाव्यत: पहुँचाने वाले किसी नुकसान अथवा उठाई गई या सम्भाव्यत: उठाई जाने वाली किसी क्षति के लिये कोई वाद या अभियोजन या विधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होगी।

धारा 19. नियम बनाने की शक्ति- (1) राज्य शासन पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के सामान्यतया किन्हीं भी उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगा।

(2) विशेषत: और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के लिये उपबन्ध हो सकेगा, अर्थात् :—

[1](क) [विलोपित, संशो. अधि. क्र. 7/1989 द्वारा]

(ख) तेन्दू पत्ते की मूल्य सूची का प्रकाशन,

(ग) इस अधिनियम के अधीन जाँच करने की विधि,

[2](घ) वे निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अधीन अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा वह रीति जिसमें तथा वह फीस या फीसें जिसकी या जिनकी देनगी की जाने पर विभिन्न प्रकार की परिवहन गाड़ियों के लिये अनुज्ञा पत्र जारी किये जा सकेंगे।

1. म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम क्र. 7/1989 द्वारा विलोपित।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 34/1987 द्वारा (18-9-87 से प्रभावी)

(ङ) धारा 10 के अधीन पंजीयन (Registration) की रीति,

(च) (एक) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रेशन की रीति, कालावधि, जिसके भीतर ऐसा रजिस्ट्रेशन किया जावेगा तथा उसके लिये देय फीस।

(2) धारा 11 की उपधारा 2 के अधीन घोषणा का प्ररूप अधिकारी जिसको, दिनांक तथा रीति जिस प्रकार घोषणा प्रस्तुत की जावेगी।

[1](च-एक) धारा 12 (क) की उपधारा (3) के अधीन वह *[प्रतिफल-राशि] – (Consideration) जिसकी देनगी की जाने पर अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(च-दो) धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन वह प्ररूप जिसमें सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाहियों की सूचना भेजी जायेगी।

(च-तीन) धारा 14- क की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप जिसमें अपील की जाएगी तथा फीस की वह रकम जो ऐसी अपील के साथ दी जायेगी और वह रूप जिसमें वह देय होगी।

(छ) कोई अन्य विषय, जिसका इस अधिनियम के अधीन अभिव्यक्त व विवक्षित (expressly or impliedly) रूप से विहित किया जाना अपेक्षित हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान-सभा के पटल पर रखे जावेंगे।

टिप्पणी धारा 19

I राज्य शासन को तेन्दू पत्तों के निराकरण के लिए नियम बनाने की शक्ति है उस शक्ति पर कोई प्रतिषेध धारा 19 में नहीं है- *(मेसर्स छोटाभाई जेठाभाई* वि. ***म. प्र.राज्य*** *- 1965* ***ज.ला.ज.*** *952* ***डीबी हाईकोर्ट*** *-1965* ***म.प्र.ला.ज.*** *733 =* ***ए.आय.आर.*** *1966* ***म.प्र.*** *34)*

II धारा 19 के अधीन निर्मित नियम कानून का प्रभाव रखते हैं - *(1978 (1)* ***म.प्र.वी.नो.*** *394)*

[2]**धारा 20. भारतीय वन अधिनियम के उपबन्ध अन्य विषयों को लागू होंगे**–तेन्दू पत्तों से सम्बन्धित वे विषय जिनके लिये अधिनियम में उपबन्ध नहीं हैं और जिनके लिये उपबन्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) में है, उस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे।

धारा 21. निरसन– विन्ध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता अधिनियम, 1953 (क्र. 6, वर्ष 1953) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 22. कठिनाइयों का निवारण- इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य शासन आदेश द्वारा ऐसे उपबन्धों से असंगत न होने वाला कोई भी ऐसा कार्य कर सकेगा जो कि उसे कठिनाई का निवारण करने के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

---

1. अधिनियम क्र. 34/1987 द्वारा (18-9-87) से प्रभावी
* अधिनियम क्र. 7/1989 (31-12-88 से प्रभावी) (देखिए-म.प्र. लॉ टाइम्स 1989 पार्ट IV पेज 32, 33, 34) म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 17-4-1989 पृ. 739-741);
2. अधिनियम क्र. 34/1987 (18-9-1987) से प्रभावी म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 18-9-1987 पृष्ठ (1781-1785)